

हंडाला का अपहरण: गाजा में जानबूझकर भुखमरी के बीच नरसंहार की सेवा में समुद्री डकैती

26 जुलाई 2025 की रात को, इजरायली नौसेना बलों ने **हंडाला**, एक नॉर्वेजियन ध्वज के तहत चलने वाले नागरिक जहाज, जो गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहा था, का अपहरण कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन द्वारा संचालित, **हंडाला गाजा के तट से 40 समुद्री मील दूर – अंतरराष्ट्रीय जल** में था – जब इसे इजरायली युद्धपोतों ने रोक लिया। जहाज पर **21 नागरिक** थे, जो एक दर्जन से अधिक देशों से थे: संसद सदस्य, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, और मानवाधिकार कार्यकर्ता। उनका मिशन सरल था: गाजा के भूखे बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक भोजन और दवाइयाँ पहुँचाना।

इसके बजाय, उन्हें दुनिया की सबसे भारी हथियारबंद सेनाओं में से एक द्वारा हिंसक रूप से अपहृत कर लिया गया।

हंडाला केवल इजरायली आक्रामकता का एक और शिकार नहीं है। यह इस घेराबंदी के कितने दूर तक जाने और दुनिया के कार्रवाई करने में विफल रहने का प्रतीक है।

गाजा में जानबूझकर भुखमरी

3 मार्च 2025 से, इजरायल ने गाजा पर **पूर्ण घेराबंदी** लागू की है। न भोजन। न ईंधन। न पानी। न दवाइयाँ। इसका परिणाम अब विश्व स्तर पर **चरण 5 की भुखमरी** के रूप में मान्यता प्राप्त है – एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) पैमाने पर सबसे विनाशकारी वर्गीकरण।

बच्चे हर दिन भूख से मर रहे हैं। पूरे परिवार कमजोर हो रहे हैं। बचे हुए लोग अपरिवर्तनीय क्षति झेल रहे हैं: शिशुओं के मस्तिष्क का विकास रुक गया है, वयस्कों के अंग विफल हो रहे हैं। यह अप्रत्यक्ष क्षति नहीं है। यह नीति है।

भुखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करना **युद्ध अपराध** है। जब इसे किसी आबादी को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से लागू किया जाता है, तो यह **नरसंहार** बन जाता है – जैसा कि **नरसंहार संधि** के अनुच्छेद II(c) में परिभाषित है:

“किसी समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियाँ थोपना जो उसके पूर्ण या आंशिक शारीरिक विनाश के लिए गणना की गई हों।”

हंडाला: एक नागरिक मिशन पर हमला

हंडाला एक 20 मीटर लंबा ट्रॉलर था, जो **नॉर्वेजियन ध्वज** के तहत चल रहा था, और मानवीय माल ले जा रहा था: **शिशु फॉर्मूला, भोजन, डायपर, और चिकित्सा आपूर्ति**। 21 यात्रियों में शामिल थे:

- **क्रिश्चियन स्मॉल्स** (यूएसए) – श्रमिक आयोजक और अमेज़न लेबर यूनियन के संस्थापक
- **हुवैदा अर्राफ** (यूएसए) – मानवाधिकार वकील और फलस्तीनी-अमेरिकी कार्यकर्ता
- **एम्मा फोर्यू और गैब्रिएल कैथाला** (फ्रांस) – फ्रांसीसी संसद की वर्तमान सदस्य
- **क्लो लुडेन** (यूके) – संयुक्त राष्ट्र की पूर्व वैज्ञानिक, जिन्होंने मिशन में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया
- **एंटोनियो ला पिसिरेला** (इटली) – जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय आयोजक

जहाज इजरायल के लिए कोई खतरा नहीं था। यह निहत्था था। यह अपने मार्ग और इरादों के बारे में खुला था। इसका गंतव्य इजरायल नहीं, बल्कि **गाजा** था।

फिर भी, इजरायल ने इस पर हमला किया। **23:43 EEST पर लाइव संचार काट दिया गया।** जहाज को बलपूर्वक कब्जे में लिया गया, यात्रियों को हिरासत में लिया गया, और सहायता जब्त कर ली गई।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री डकैती

हंडाला को अंतरराष्ट्रीय जल में जब्त किया गया, जो किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर था। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अनुच्छेद 101 के अनुसार, यह समुद्री डकैती के रूप में योग्य है:

“खुले समुद्र में किसी अन्य जहाज के खिलाफ कोई भी अवैध हिंसा या हिरासत का कार्य।”

इजरायल के पास जहाज पर चढ़ने या उसका मार्ग बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। हंडाला एक विदेशी ध्वज के तहत चलने वाला नागरिक जहाज था। सैन्य बल द्वारा इसकी जब्ती, बिना कानूनी प्रक्रिया के, राज्य समुद्री डकैती थी।

यह सीमा प्रवर्तन नहीं था। यह मानवीय सहायता का अपराधीकरण था।

इजरायल का गाजा के जल पर कोई कानूनी दावा नहीं है

इजरायल दावा करता है कि उसका नाकाबंदी कानूनी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, ऐसा नहीं है।

- UNCLOS के अनुच्छेद 2 के अनुसार, केवल एक संप्रभु तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र को नियंत्रित कर सकता है
- इजरायल गाजा को अपने क्षेत्र का हिस्सा नहीं मानता
- इसलिए, इसके पास गाजा के क्षेत्रीय जल पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है – खुले समुद्र की तो बात ही छोड़ दें

2024 में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक सलाहकारी राय जारी की, जिसमें पुष्टि की गई कि इजरायल का फलस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा गैरकानूनी है। इसका नौसैनिक नाकाबंदी – जो नागरिकों तक भोजन और चिकित्सा सहायता को रोकता है – एक वैध सुरक्षा उपाय नहीं है। यह सामूहिक दंड का एक रूप है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून द्वारा निषिद्ध है।

नाकाबंदी तोड़ने के लिए सैन्य हस्तक्षेप इजरायल के खिलाफ आक्रामकता नहीं है, क्योंकि इजरायल का गाजा के जल पर कोई वैध क्षेत्रीय दावा नहीं है। मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप फलस्तीनी संप्रभुता को बहाल करेगा, न कि इजरायली संप्रभुता का उल्लंघन करेगा।

इजरायल का सहायता प्रदान करने का कर्तव्य – और इसका जानबूझकर उल्लंघन

गाजा में कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में, इजरायल निम्नलिखित से बाध्य है:

- चौथा जिनेवा कन्वेंशन, अनुच्छेद 55: कब्जा करने वाली शक्तियों को भोजन और दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है
- प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून: भुखमरी को हथियार के रूप में उपयोग करने पर रोक लगाता है
- रक्षा की जिम्मेदारी (R2P) सिद्धांत: जब कोई राज्य अपनी आबादी को सामूहिक अत्याचारों, जिसमें नरसंहार शामिल है, से बचाने में विफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता है

इजरायल न केवल इन कर्तव्यों को पूरा करने में विफल हो रहा है – यह जानबूझकर उनका उल्लंघन कर रहा है। और यह दूसरों को मदद करने की कोशिश करने के लिए दंडित कर रहा है।

जनवरी और मार्च 2024 में, ICJ ने बाध्यकारी अस्थायी उपाय जारी किए, जिसमें इजरायल को आदेश दिया गया:

“गाजा पट्टी में फलस्तीनियों द्वारा सामना की जा रही प्रतिकूल जीवन स्थितियों को संबोधित करने के लिए तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रावधान को सक्षम करें।”

हंडाला की जब्ती इन आदेशों का सीधा उल्लंघन है।

चालक दल का क्या हुआ?

पिछले **मदलीन** मिशन के विपरीत – जहां 12 चालक दल के सदस्यों को यह दावा करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया कि वे “अवैध रूप से इजरायल में प्रवेश किए” थे, इससे पहले कि उन्हें निर्वासित किया गया – **हंडाला के 21 चालक दल के सदस्य अभी भी हिरासत में हैं** इस लेखन के समय।

कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए हैं।

फिर भी, खबरों के अनुसार, इजरायल उसी हास्यास्पद नाटक को दोहराने की कोशिश कर रहा है: **हंडाला** के चालक दल को यह दावा करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना कि वे “अवैध रूप से इजरायल में प्रवेश किए”, **尽管他们在 अंतरराष्ट्रीय जल में अपहृत किए गए थे।** उनका गंतव्य गाजा था, न कि इजरायल। इन कागजात पर हस्ताक्षर करना कानूनी प्रक्रिया नहीं है – यह एक जालसाजी है जिसे अपहरण के अपराध को मिटाने और झूठी वैधता का कागजी निशान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कानूनी और नैतिक कर्तव्य

नरसंहार संधि, ICJ क़ानून, और R2P के तहत, सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों का निम्नलिखित के लिए बाध्यकारी दायित्व है:

- **नरसंहार को रोकना**
- **ICJ के फैसलों का पालन करना**
- **नागरिकों और मानवीय मिशनों की रक्षा करना**

इस कर्तव्य में **आवश्यक होने पर बल का उपयोग** शामिल है, ताकि सामूहिक भुखमरी को रोका जा सके और सहायता तक पहुंच खोली जा सके। जब **हंडाला** जैसी शांतिपूर्ण सहायता मिशन पर हमला होता है, तो अन्य राज्य न केवल हस्तक्षेप करने की अनुमति रखते हैं – वे इसके लिए **बाध्य** हैं।

नॉर्वे की नौसेना कहाँ थी?

यूरोपीय संघ के जहाज कहाँ थे?

नरसंहार संधि के हस्ताक्षरकर्ता कहाँ थे?

चुप रहना मतलब साझीदार बनना है।

निष्कर्ष: गाजा को जीने दें

हंडाला का अपहरण पानी में एक रेखा है। यह केवल गाजा को दबाया नहीं जा रहा है। यह सिद्धांत है कि लोगों को गलत जगह पैदा होने के लिए भूखा नहीं मरना चाहिए। यह सिद्धांत है कि सहायता अपराध नहीं है। यह विश्वास है कि कानून क्रूर बल से अधिक मायने रखता है।

इजरायल के कार्य **समुद्री डकैती, आतंकवाद, और नरसंहार** हैं – न कि इसलिए कि कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं, बल्कि इसलिए कि कानून ऐसा कहता है।

दुनिया को अब कार्रवाई करनी होगी:

- **हंडाला के चालक दल को तुरंत रिहा करें**
- **नाकाबंदी समाप्त करें**

- आवश्यक होने पर भविष्य के सहायता मिशनों को नौसैनिक सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट करें
- अंतरराष्ट्रीय अदालतों में इजरायल को जवाबदेह ठहराएँ

गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं। कानून उनके पक्ष में है। मानवता को भी होना चाहिए।